

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 13-12-2017

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी में वरीयता संख्या एवं मांग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटि	सेवानिवृत्ति तिथि	प्रस्तावित आवंटित आवास
1.	130/2003	श्रीमती रेखा सिंधु, लिपिक ग्रेड-II, कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर।	31.10.2036	5/143 गांधीनगर
2.	96/2006	श्री ब्रदीनारायण मीणा, लेब टैक्निशियन, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर	31.7.2038	5/177 गांधीनगर (5/60 गांधीनगर के स्थान पर)
3.	55/2007	श्री दीपक गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	31.8.2047	5/100 गांधीनगर
4.	72/2011 9.8.2011	श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लिपिक, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	31.8.2043	5/150 गांधीनगर
5.	90/2011	श्री रामधन गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक, गृह (ग्रुप-13) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.1.2040	5/154 गांधीनगर (जीएडी-5-टी-1/144, विद्याधर नगर के स्थान पर)
6.	56/2007	श्री भूपेन्द्र कुमार सैन, कनिष्ठ लिपिक, राजकीय सेंटैलाइट चिकित्सालय, शास्त्रीनगर बनीपाक्र, जयपुर।	31.10.2038	5/113 गांधीनगर
7.	57/2007	श्री रामसिंह, कनिष्ठ लिपिक श्रम आयुक्त, 6-सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।	31.12.2020	5/67 गांधीनगर
8.	61/2007	श्री मदन मोहन जाट कनिष्ठ लिपिक सहकारी विभाग, जयपुर।	30.4.2026	5/64 गांधीनगर
9.	96/2011	श्री सोहन सिंह, कनिष्ठ लिपिक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2049	5-सी/21 गांधीनगर बहुमंजिला
10.	100/2011	श्री कपिल पारीक, कनिष्ठ लिपिक, कार्मिक (ख-2)विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	28.2.2043	5-बी/2 गांधीनगर
11.	62/2007	श्री राजेश कुमार बैरवा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, वृक्षारोपण परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।	30.4.2039	5-ए/13 गांधीनगर बहुमंजिला
12.	63/2007	श्री वीरेन्द्र सरोज, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बीसलपुर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।	30.11.2041	5-डी/19 गांधीनगर बहुमंजिला
13.	64/2007	श्री लक्ष्मण प्रसाद मीणा, प्रतिवेदक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	31.10.2042	5-बी/23 गांधीनगर बहुमंजिला
14.	104/2011	सुश्री पूनम मीणा, कनिष्ठ लिपिक, गृह (ग्रुप-9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.7.2051	5-ए/3 गांधीनगर बहुमंजिला
15.	105/2011	श्री जोगेन्द्र सिंह जौधा, कनिष्ठ लिपिक, कार्मिक (क-4/1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	30.6.2045	5-ए/21 गांधीनगर बहुमंजिला
16.	66/2007	श्री मनोज कुमार विजय, कनिष्ठ प्रारूपकार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पादन एवं वितरण खण्ड-3, जयपुर।	28.2.2042	5-डी/7 गांधीनगर बहुमंजिला
17.	67/2007	श्री राजकुमार टांक, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	28.2.2030	जीएडी/5/टी-1/47 विद्याधर नगर

2.

18.	68/2007	श्री रामनारायण मीणा, कनिष्ठ लिपिक, श्रम विभाग, जयपुर।	30.9.2026	जीएडी/5/टी-1/128 विद्याधर नगर.
19.	108/2011	श्री विजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक, गृह (ग्रुप-12) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2046	5-ए/4 गांधीनगर बहुमंजिला
20.	112/2011	श्रीमती अंजू देवी, कनिष्ठ लिपिक, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	29.2.2044	जीएडी/5/टी-1/91 विद्याधर नगर
21.	69/2007	श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत, वाहन चालक, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर शहर, जयपुर।	31.5.2035	जीएडी/5/टी-1/110 विद्याधर नगर
22.	72/2007	श्री विनोद बाकलीवाल, कनिष्ठ लिपिक, आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर।	31.12.2028	जीएडी/5/टी-1/135 विद्याधर नगर
23.	75/2007	श्री विजय कुमार, कनिष्ठ लिपिक, जनाना अस्पताल, जयपुर।	30.6.2035	जीएडी/5/टी-1/159 विद्याधर नगर
24.	115/2011	श्री शंकर सिंह, कनिष्ठ लिपिक, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.9.2050	जीएडी/5/टी-1/160 विद्याधर नगर
25.	121/2011	श्री कुशल सिंह राठौड़, कनिष्ठ लिपिक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	30.6.2046	जीएडी/5/टी-1/164 विद्याधर नगर
26.	76/2007	श्री आशुतोष जोशी, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गिराजेश्वर महादेव मंदिर, खेतडी हाउस, जयपुर।	30.11.2038	जीएडी/5/टी-1/89 विद्याधर नगर
27.	78/2007	श्रीमती लक्ष्मी निर्माण, कनिष्ठ लिपिक, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।	30.06.2039	जीएडी/5/टी-1/125 विद्याधर नगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
(1) आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
(2) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एवं 19 पर अंकित आवण्टियों से कॉमन सुविधा राशि रुपये 75/- (अक्षरे राशि रुपये पचहत्तर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. कोष कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी, राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, शास्त्री नगर, बनीपार्क, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. श्रम आयुक्त, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

8. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, वृक्षारोपण परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बीसलपुर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पादन एवं वितरण खण्ड-3, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. अधीक्षक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गिर्राजेश्वर महादेव मंदिर, खेतडी हाउस, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
19. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
21. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
24. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
25. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
26. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
27. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
29. रक्षित पत्रावली।


 उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर